राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

निविदा फार्म का मूल्य रू. 200/–

निविदा फार्म (2017–2018)

उद्यान संधारण हेतु एक वर्ष के लिए निविदा

1. निविदादाता का नाम/फर्म का नाम व पताः
   (मय दूरभाष/मोबाइल तथा ई–मेल)
2. डाक का पूरा पता मय टेलीफोन नं.
   (तत्सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न किये जावे)
3. फर्म के श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का विवरण
4. भविष्य निधि/ ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का विवरण
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र का विवरण
6. अमानत राशि का विवरण (1) बैंकर्स चैक/ ड्राफ्ट नं.
   (2) बैंक का नाम

6. प्रस्तावित ठेका राशि (प्रति माह के लिए) अंको में...
   शब्दों में ....

कार्यानुभवः–

(1) राजकीय विभाग/कम्पनी/संस्था का नाम व पता जिसमें निविदादाता द्वारा उद्यान संरक्षण सम्बन्धी कार्य किया है...

(2) अवधि (तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की जावें)

निविदादाता फर्म का पता प्रमाणित करने हेतु तत्सम्बन्धी साक्ष्य की प्रमाणित सत्य प्रति मस फर्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम/मैसर्स.................................

पता..

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

Rajasthan

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

एफ.8(80)/[illegible]/[illegible]/[illegible] 15/9/17

खुली निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कार्यालय के परिसर के बगीचे जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्ग फीट है एवं परिसर के अन्दर व बाहर लगे पेड पौधों, तथा गमलों, (लगभग 200) के ठेके पर रख–रखाव के लिए वार्षिक अनुबन्ध हेतु विभिन्न, पंजीकृत संस्थाओं/फार्मो/ एजेन्सियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की अनुमानित लागत 2.50 लाख रूपये है।

निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, के कार्यालय पता 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर (दूरभाष संख्या 0141–5159600) से रूपये 200/– नगद/डी. डी./बैंकर चैक के द्वारा भुगतान कर कार्यालय समय में दिनांक 06.10.2017 को दोपहर 1:00 बजे तक क्रय किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.rajasthan.gov.in तथा पोर्टल www.sppp.rajas than.gov.in से भी डाऊनलोड कर उपयोग में लिया जा सकता है। वेबसाइट के डाऊनलोड किये गए निविदा प्रपत्र के लिए निविदा के साथ निविदा शुल्क की राशी 200/– रूपये राशी सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के पक्ष में डी. डी./बैंकर्स चैक के रूप से संलग्न करनी होगी।

निविदा दिनांक 06.10.2017 को दोपहर 2:30 बजे तक मण्डल मुख्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, 04, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर में जमा करवाई जा सकती है। निविदा के साथ अमानत राशी रूपये 5000/– का डी. डी./बैकर्स चैक संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 06.10.2017 को सायं 4:00 बजे खोली जाएगी।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

राजस्थान रा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर भवन स्थित उद्यान का रख–रखाव एवं सजावटी गमलों की देख–रेख सम्बन्धी कार्य का पूर्ण विवरण एवं ठेके की शर्ते :–

<u>कार्य का विवरण :–</u>

1. मण्डल परिसर जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्गफीट है में घास की देखभाल करना, गमलों में पौधे को लगाना, पौधों व घास की समय–समय पर निराई, गुड़ाई करना व पानी लगाना, खाद देना, उनकी बढवार व कीट आदि के बचाव हेतु दवाईयों का उपयोग, पौधे परिर्वतन आदि की व्यवस्था समय पर ठेकेदार को करनी होगी।
2. गमलों की समय–समय पर सफाई, धुलाई, व रंगाई ठेकेदार को करनी होगी।
3. मण्डल परिसर एवं फुटपाथ के पास खाली पडे स्थान पर भी ठेकेदार को पेड़– पौधे लगाने होंगें।
4. मण्डल भवन में उद्यान व गमलों के आस–पास सफाई व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।
5. पानी की टंकियों में पानी प्रति–दिन ठेकेदार द्वारा भरवाया जाएगा। गर्मी ऋतु में सुबह–शाम डक्टिंग को चालू–बन्द करने का कार्य भी सम्पादित करना होगा।
6. समय–समय पर उद्यान की घास की कटाई एवं उद्यान में जंगली घास एवं बेकार पौधे उगने की दशा में उनको निकालने का कार्य ठेकेदार को करना होगा।
7. उद्यान एवं पौधों के लिए सामग्री पौध, खाद, दवाईयाँ आदि की आवश्यकता पडने पर समय से पूर्व लिखित में मण्डल के केयर टेकर को सूचित करना होगा।
8. पेड़–पौधों के रख–रखाव की जिम्मेदारी निविदा प्राप्त कर्त्ता की होगी। पेड़–पौधों के सूखने पर ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे पर उसी स्थान पर दूसरा पौधा/पेड़ लगाना होगा।
9. प्रत्येक माह का भुगतान केयर टेकर एवं प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) द्वारा उस माह में किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही किया जाएगा। अगर कार्य असंतोषजनक पाया गया तो बिल राशि में से उचित राशि की कटौती की जा सकेगी।
10. निविदादाता का उद्यान की व्यवस्था के लिए वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (प्रशासन)/केयर टेकर अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी एवं बिना किसी विवाद के कार्य करना होगा।
11. गमले, पौधे, बीज, खाद, दवाईयाँ एवं उद्यान सम्बन्धी उपकरण मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। उद्यान सम्बन्धी उपकरणों को रखने की व्यवस्था कर दी जाएगी। उपकरणों के रख–रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। जिसे ठेका समाप्त होने पर सभंलवाना होगा।
12. उद्यान हेतु पानी की उपलब्धता मण्डल द्वारा की जावेगी। जिस समय मण्डल में पानी चालू किया जावें उसी समय ठेकेदार को उद्यान, पेड़–पौधौं में पानी देने की व्यवस्था करनी होगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

ठेके की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5000/– सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में ठेके की वार्षिक राशि का 5 प्रतिशत इस कार्यालय को जमा करवाना होगा तथा उसके द्वारा जमा अमानत राशि प्रतिभूति राशि में सम्मिलित कर ली जावेंगी। यह राशि ठेकेदार निविदादाता को ठेके की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर लौटा दी जावेगी। यदि ठेके की शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो पण्डल को आर्थिक दण्ड अभिरोपित करने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड न जमा करवाने की अवस्था में दण्ड की राशि प्रतिभूति राशि में से वसूल कर ली जावेगी। तथा ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। तथा निविदादाता के खर्चे पर कार्य स्थानीय बाजार से करवाया जावेगा।
3. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के 7 दिवस में प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। राशि जमा करवाने के उपरान्त ही ठेका प्रभावी होगा। प्रतिभूति राशि 7 दिवस में जमा नही करवाने की स्थिति में अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार मण्डल को होगा।
4. ठेके पर दिये गए कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध मे ओर निविदा के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर उस विवाद पर सदस्य सचिव रा.प्र.नि.मं. जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदा प्राप्तकर्त्ता को मान्य होगा। ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना नोटिस दिए ठेका रद्द किया जा सकता है।
5. ठेका स्वीकृत हो जाने पर सफल निविदादाता को रूपये 500के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध–पत्र संपादित करना होगा, जो ठेके की पूर्ण अवधि के लिए वैध होगा। अनुबन्ध शुल्क निविदादाता द्वारा देय होगी।
6. निविदादाता को भुगतान ठेके की सभी शर्ते पूरी करने को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य में कमी पायें जाने पर मण्डल द्वारा बिल राशि में से कटौती की जा सकेगी।
7. निविदादाता उद्यान कार्य का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को सबलेट नहीं करेगा। यदि निविदादाता दो दिन में मण्डल कार्यालय में अपने ठेके के कार्य की देखभाल करने नही आता है तो यह मानते हुए कि ठेकेदार ने स्वयं का ठेका काम करने वसले मजदूर का सबलेट कर दिया है, ठेका रद्द करने का अधिकार मण्डल को होगा।
8. निविदादाता को कार्य करने का अनुभव का प्रमाण–पत्र मण्डल में प्रस्तुत करना होगा। अनुभवहीन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित ठेके के कार्य का ठेकेदार/फर्म के पास कम से कम दो वर्ष का अनुभव किसी राजकीय विभाग/रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी में होना आवश्यक है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

Rajasthan

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694—97

9. उद्यान, उद्यान में लगें पेड़—पौधे व परिसर के बाहर मण्डल द्वारा लगाये गये पौधौं की देख—भाल हेतु ठेकेदार को तीन अनुभवी माली प्रतिदिन उपलब्ध करने होगें जो प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक मण्डल में उपस्थित रहकर उद्यान का कार्य करेंगें। अनुभवहीन बागवान को नियुक्त करने पर उसे हटा दिया जाएगा, तथा पेनल्टी के रूप में 150/— रूपये प्रति बागवान प्रतिदिन की दर से राशि निविदादाता के उस माह के बिल से काटी जाएगी।
10. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए होगीं। आपसी सहमती से अनुबन्ध एक वर्ष और बढा़या जा सकता है, विवाद की स्थिति में समय से पूर्व समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
11. उपरोक्त बिन्दुको निविदा/ठेके की शर्तो में भी समयोजित करें। यदि ठेकेदार द्वारा लगाए गए कुशल बागवान अनुपस्थिति/अवकाश पर (एक दिवस के लिए भी) चले जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। वह कही से भी अन्य बागवान की व्यवस्था कर मण्डल के बगीचे के रख—रखाव का कार्य करवायेंगा अन्यथा उस माह की भुगतान राशि से अनुपस्थिति अवधि के लिए आनुपातिक राशि/एवं पेनल्टी प्रतिदिन प्रति बागवान रूपये 150/— काटकर भुगतान किया जाएगा।

कार्यालय अध्यक्ष

उपरोक्त निविदा में अंकित सभी शर्ते मैंने/हमने पढ़ ली है और सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम ....

पता...

....